रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2006/वैशाख 22, 1928
No. 479] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2006/VAISAKHA 22, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

का.आ. 700(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

श्री अनंत कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी, तत्कालीन आसीन संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में 22 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह अभिकथन किया है कि श्रीमती सोनिया गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा), जिन्हें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा की सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गई थीं;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश, तारीख 24 मार्च, 2006 द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा की सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं;

और आयोग में निर्देश के 27 मार्च, 2006 को प्राप्त होने से पूर्व, श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 मार्च, 2006 को लोक सभा से अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था । इस तथ्य को, लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 23 मार्च, 2006 की अपनी अधिसूचना सं० 21/3/2006/टी द्वारा यह सूचित करते हुए अधिसूचित किया गया था कि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उनका त्याग पत्र 23 मार्च, 2006 से स्वीकार कर लिया गया है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा 23 मार्च, 2006 को त्याग -पत्र दे दिए जाने के कारण लोक सभा की सदस्य बने रहने के लिए उनकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में उक्त निर्देश निरर्थक हो गया है;

अतः अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी की अभीकथित निरर्हता के संबंध में उक्त याचिका, श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा से अपनी सदस्यता के त्याग -पत्र दे दिए जाने के कारण निरर्थक हो गई है ।

भारत का राष्ट्रपति

9 मई, 2006

[फा. सं. एच-11026(4)/2006-विधायी-II]

एन. के. नम्पूथिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन पूर्व लोक सभा सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 11

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 24 मार्च, 2006 (तारीख 27 मार्च, 2006 को प्राप्त) का निर्देश है जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी, जो लोक सभा की तत्कालीन आसीन सदस्य थी, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं अथवा नहीं ।

2. श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री अनंत कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 22 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था । उक्त याचिका में याची ने यह अभिकथित किया है कि श्रीमती सोनिया गांधी, तत्कालीन आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा) को, भारत सरकार के आदेश सं0 631/2/1/2004 - मं.म. तारीख 3.06.2004 द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिषद कहा गया है) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था । उक्त आदेश की एक प्रति भी याचिका के साथ उपाबद्ध की गई थी । उक्त याचिका में याची ने यह दलील दी कि परिषद न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरी करती थी, जो एक कार्यकारी कृत्य है और परिषद् के सभी व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाते थे । उन्होंने यह भी कथन किया कि परिषद् की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी को संघ के केबिनेट मंत्री की हैसियत प्रदान की गई

थी जो भत्तों और परिलब्धियों के लिए हकदार था । याची ने यह दलील दी कि परिषद् के अध्यक्ष का पद पूर्ण रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन था । इन प्रकथनों के आधार पर याची ने यह अभिकथन किया कि श्रीमती सोनिया गांधी परिषद् की अध्यक्षा के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन लोक सभा की सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गई थी । याची ने यह दावा किया कि श्रीमती सोनिया गांधी लोक सभा की सदस्यता धारण नहीं कर सकती थी और वे ऐसी सदस्यता से निरर्हित किए जाने की दायी थी और याची ने यह अनुरोध किया कि श्रीमती गांधी को लोक सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाए । याची ने यह भी अनुरोध किया कि उसे राष्ट्रपति महोदय और आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए ।

3. 27 मार्च, 2006 को आयोग में निर्देश प्राप्त होने से पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 मार्च, 2006 को लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जैसा कि लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 23 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 21/3/2006/टी द्वारा अधिसूचित किया गया है । उक्त अधिसूचना में, जिसकी एक प्रति लोक सभा सचिवालय द्वारा 24.3.2006 को आयोग को भेजी गई थी, यह उल्लेख किया गया था कि श्रीमती सोनिया गांधी ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 23 मार्च, 2006 से स्वीकार कर लिया गया था ।

4. श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिए जाने को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं ।

5. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पोडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम विन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

> " इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम,

इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।"

6. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उदभूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैंड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।"

7. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा

से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है । ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।'

8. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मित्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

9. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवल्पमैंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

10. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सिल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।

11. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

> " उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई

जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।'

12. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिनसे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी ।

13. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्रीमती सोनिया गांधी की लोक सभा के सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी पहले ही 23 मार्च, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे चुकी हैं और इस प्रकार अब सदन की सदस्य नहीं हैं । इसे ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोई सुनवाई की आवश्यकता नहीं है ।

14. तदनुसार उक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 7 अप्रैल, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

NOTIFICATION
New Delhi, the 12th May, 2006

S.O. 700(E).—The following Order made by the President is published for general information: -

ORDER

Whereas a petition dated the 22nd March, 2006 of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, the then sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Ananth Kumar, Member of Parliament (Lok Sabha);

And whereas the said petitioner has alleged that Smt. Sonia Gandhi, being a Member of Parliament (Lok Sabha) was appointed as the Chairperson of the National Advisory Council had become subject to disqualification for being a Member of Lok Sabha, under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President by a reference dated the 24th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution as to whether Smt. Sonia Gandhi has become subject to disqualification for being a member of Lok Sabha under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas before the reference was received in the Commission on the 27th March, 2006, Smt. Sonia Gandhi resigned her membership in the Lok Sabha on the 23rd March, 2006, which fact was notified by the Lok Sabha Secretariat *vide* its notification No.21/3/2006/T dated the 23rd March, 2006 informing the acceptance of her resignation by the Speaker with effect from the 23rd March, 2006;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that on account of the resignation by Smt. Sonia Gandhi on the 23rd March, 2006, the said reference on the question of her alleged disqualification for being a member of Lok Sabha has become infructuous;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition about the alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi has become infructuous on account of the resignation of Smt. Sonia Gandhi of her membership in the Lok Sabha.

PRESIDENT OF INDIA

9th May, 2006

[F. No. H-11026/(4)/2006-Leg.-II]
N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, former member of the Lok Sabha under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 11 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 24th March, 2006 (received on 27th March, 2006) from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Smt. Sonia Gandhi, who was then a setting member of the Lok Sabha, has become subject to disqualification for being a Member of Lok Sabha under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi was raised in a petition dated 22nd March, 2006 submitted to the President by Sh. Ananth Kumar, Member of Parliament (Lok Sabha). In the said petition, the petitioner alleged that Smt. Sonia Gandhi, then sitting Member of Parliament (Lok Sabha), was appointed as the Chairperson of the National Advisory Council (hereinafter referred to as 'Council'), vide Govt. of India Order No. 631/2/1/2004-Cab, dated 3-06-2004. A copy of the said order was also annexed to the petition. The petitioner contended that the Council monitored the progress of implementation of the Common Minimum Programme, an executive function, and all expenditure of the Council was met by the Central Govt. He also submitted that as Chairperson of the Council, Smt. Sonia Gandhi was granted the status

of a Union Cabinet Minister entitled to perks and remuneration. The petitioner also contended that the Govt. of India had full control over the post of Chairperson of the Council. Based on these averments, the petitioner alleged that Smt. Sonia Gandhi had become subject to disqualification from being a member of the Lok Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution, from the date of her appointment as the Chairperson of the Council. The petitioner claimed that Smt. Sonia Gandhi could not retain her membership of the Lok Sabha and she was liable to be disqualified from being such Member, and he requested that Smt. Gandhi be disqualified from the Membership of Lok Sabha. The petitioner also made a request that he be given an opportunity of hearing by the Hon'ble President and the Commission.

3. Before the reference was received in the Commission on 27th March, 2006, Smt. Sonia Gandhi resigned her membership in the Lok Sabha on the 23rd March, 2006, as notified by the Lok Sabha Secretariat vide their notification No. 21/3/2006/T, dated 23rd March, 2006. In the said notification, a copy whereof was sent to the Commission by the Lok Sabha Secretariat on 24.3.2006 ,it was mentioned that Smt. Sonia Gandhi had resigned her seat in the Lok Sabha and her resignation was accepted by the Speaker w.e.f. 23rd March, 2006.

4. In view of the resignation by Smt. Sonia Gandhi of her seat in the Lok Sabha, the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the question of her alleged disqualification raised in the petition referred to the Commission, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution.

5. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was

under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be undertaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

6. Earlier ,the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....
>
> .....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....
>
> .....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would

it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

7. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

> The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

8. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members

of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

9. The case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989) was identical in facts and circumstances, to the present case. The question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructous."

10. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the Governor, was whether Smt.Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

11. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the

Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

12. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

13. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi for being a member of the Lok Sabha has become infructuous, in view of the fact that Smt. Sonia Gandhi has already resigned her seat in the Lok Sabha on 23rd March, 2006, and is thus no longer a member of the House. In view of this, there is no need for any hearing in this matter.

14. Accordingly, the said reference is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous.

(Navin B.Chawla)	(B.B.Tandon)	(N.Gopalaswami)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place : New Delhi
Dated: 7th April, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

का.आ. 701(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री येरेननायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा और जिस पर तेलगू देसम पार्टी के कतिपय अन्य संसद सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी, तत्कालीन संसद सदस्य (लोक सभा) और डा० करन सिंह, और श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी, आसीन संसद सदस्यों (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 14 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और श्री येरेननायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा और जिस पर तेलगू देसम पार्टी के कतिपय अन्य संसद सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी, डा० करन सिंह, श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी और सुश्री कपिला वात्सायन तत्कालीन संसद के आसीन सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 20 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याचियों ने यह दलील दी है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद, अध्यक्षा, राजीव गांधी स्मारक न्यास और जवाहरलाल नेहरु स्मारक निधि की अध्यक्षा का पद धारण कर रही थी;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन क्रमशः तारीख 21 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा और तारीख 22 मार्च, 2006 के एक अन्य निर्देश द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी और तीन अन्य संसद सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि क्या उक्त दोनों याचिकाओं में उठाया गया अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के आधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि जब आयोग में निर्देश संवीक्षाधीन थे, श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 मार्च, 2006 को लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था, जिस तथ्य को लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 23 मार्च, 2006 की उसकी अधिसूचना सं० 21/3/2006/टी द्वारा यह सूचित करते हुए अधिसूचित किया गया था कि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उनका त्याग पत्र 23 मार्च, 2006 से स्वीकार कर लिया गया है;

और निर्वाचन आयोग ने यह राय दी है कि श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता से संबधित उक्त दो निर्देश संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन आयोग द्वारा कोई राय दिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं;

और निर्वाचन आयोग अन्य तीन व्यक्तियों, अर्थात डा. करन सिंह, श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी और सुश्री कपिला वात्सायन के अभिकथित निरर्हता के मामलों पर पृथक रूप से कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता है क्योंकी इन मामलों की स्थिति भिन्न है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चिय करता हूं कि डा. करन सिंह, श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी और सुश्री कपिला वात्सायन के संसद सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग कि राय की प्राप्ति के लंबित रहने के दौरान क्रमशः तारीख 21 मार्च, 2006 और तारीख 22 मार्च, 2006 के उक्त दोनों निर्देश, जहां तक वे श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण निरर्थक हो गए हैं।

भारत का राष्ट्रपति

9 मई, 2006

[फा. सं. एच-11026(7)/2006-विधायी-II]

एन. के. नम्पूथिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन पूर्व लोक सभा सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 7 और 8

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

ये संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 21 मार्च, 2006 और तारीख 22 मार्च, 2006 के निर्देश हैं । जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी, जो लोक सभा की तत्कालीन आसीन सदस्य थी, डा. करन सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), श्री सुब्बा रामी रेड्डी, संसद सदस्य (राज्य सभा) और सुश्री कपिला वात्सायन, संसद सदस्य (राज्य सभा) संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संबद्ध सदन के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गएं हैं अथवा नहीं ।

2. पूर्वोक्त चार व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री येरेननायडु, संसद सदस्य (लोक सभा) और तेलगु देसम पार्लियामेंट्री पार्टी के अन्य संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 14 मार्च, 2006 और तारीख 20 मार्च, 2006 की दो याचिकाओं में उठाया गया था । तारीख 14 मार्च, 2006 की याचिका में श्रीमती सोनिया गांधी, डा. करन सिंह और श्री टी. सुब्बा रामी रेड्डी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया था । तारीख 20 मार्च, 2006 की अन्य याचिका में सुश्री कपिला वात्स्यायन की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न पूर्वतर याचिका में पहले ही तीन व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित प्रश्न के अतिरिक्त भी प्रश्न उठाया था ।

3. 23 मार्च, 2006 को जिस समय आयोग में प्राप्त दोनों निर्देश प्रारंभिक रूप से संवीक्षाधीन थे, श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 मार्च, 2006 को लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जैसा कि लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 23 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 21/3/2006/टी द्वारा अधिसूचित किया गया है । उक्त अधिसूचना में, जिसकी एक प्रति लोक सभा सचिवालय द्वारा 24.3.2006 को आयोग को भेजी गई थी, यह उल्लेख किया गया था कि श्रीमती सोनिया गांधी ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 23 मार्च, 2006 से स्वीकार कर लिया गया था ।

4. श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिए जाने को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि निर्दिष्ट उक्त दोनों याचिकाओं में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं । अन्य तीनों सदस्यों अर्थात् डा. करन सिंह, श्री टी. सुब्बा रामी रेड्डी और सुश्री कपिला वात्स्यायन के मामले में स्थिति भिन्न है चूंकि वे संसद के आसीन सदस्य हैं और पृथक रूप से प्रक्रिया की जानी है । अतः दो याचिकाओं में श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा की सदस्य होने की निरर्हता के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर ही इस राय में विचार किया जा रहा है । याचिका में श्रीमती सोनिया गांधी के संबंध में यह आरोप था कि वह अध्यक्षा, राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद, अध्यक्षा, राजीव गांधी स्मारक न्यास और जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि की अध्यक्षा के पद धारण कर रही थी । श्रीमती सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद, राजीव गांधी स्मारक न्यास और जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि की अध्यक्षा के रूप में अभिकथित नियुक्ति के संबंध में मात्र एक कथन के अलावा उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीखों, पदों की प्रकृति, पदों से जुड़े अभिलाभ आदि के संबंध में याचिका में कोई अन्य ब्यौरे नहीं दिए गए थे ।

5. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों

में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पोडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम चिन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

" इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।"

6. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उदभूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.. .....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।"

7. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए

जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है ।' ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।"

8. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मित्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

9. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनॉमिक डेवल्पमेंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही

उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

10. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सिल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।

11. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

" उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील

लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।"

12. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी ।

13. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा के सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी पहले ही 23 मार्च, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे चुकी हैं और इस प्रकार वे अब संबंधित सदन की सदस्या नहीं हैं ।

14. तदनुसार, तारीख 21 मार्च, 2006 और तारीख 22 मार्च, 2006 के दोनों निर्देशों को, जहां तक वे श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वे निरर्थक हो गए हैं । दो याचिकाओं में उठाए गए अन्य तीन व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 7 अप्रैल, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2006

S.O. 701(E).— The following Order made by the President is published for general information: -

ORDER

Whereas a petition dated the 14th March, 2006 of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, the then sitting Member of Parliament (Lok Sabha), and Dr. Karan Singh and Shri T. Subba Rami Reddy, the then sitting Members of Parliament (Rajya Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Yerrannaidu, Member of Parliament (Lok Sabha) and signed by certain other Members of Parliament of Telugu Desam Parliamentary Party;

And whereas a petition dated the 20th March, 2006 of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, Dr. Karan Singh, Shri T. Subba Rami Reddy and Ms. Kapila Vatsayan, the then sitting Members of Parliament under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Yerrannaidu, Member of Parliament (Lok Sabha) and signed by certain other Members of Parliament of Telugu Desam Parliamentary Party;

And whereas the said petitioners have averred that Smt. Sonia Gandhi was holding the office of Chairperson, National Advisory Council; Chairperson, Rajiv Gandhi Memorial Trust and Chairperson of Jawaharlal Nehru Memorial Fund;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 21st March, 2006 and another reference dated the 22nd March, 2006 respectively under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Smt. Sonia Gandhi and the other three Members of Parliament become subject to disqualification for being Members of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex);

And whereas the Election Commission has noted that the preliminary issue arising for consideration of the Commission was as to whether the alleged disqualification in the said two petitions survived for any opinion of the Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has noted that while the references were under scrutiny, Smt. Sonia Gandhi resigned her membership in the Lok Sabha on the 23rd March, 2006 which fact was notified by the Lok Sabha Secretariat *vide* its notification No.21/3/2006/T dated the 23rd March, 2006 informing the acceptance of her resignation by the Speaker with effect from the 23rd March, 2006;

And whereas the Election Commission has come to the opinion that the said references on the alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi for being a Member of Lok Sabha did not survive for any opinion of the Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution;

And whereas the Election Commission proposes to deal with the cases of alleged disqualification of the other three persons namely Dr. Karan Singh, Shri T. Subba Rami Reddy and Ms. Kapila Vatsayan separately as they stand on different footing;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that, pending receipt of opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of Dr. Karan Singh, Shri T. Subba Rami Reddy and Ms. Kapila Vatsayan for being Members of Parliament, the said two references dated the 21st March, 2006 and the 22nd March, 2006 respectively have become infructuous in so far as they relate to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi on account of the resignation of Smt. Sonia Gandhi of her membership in the Lok Sabha.

PRESIDENT OF INDIA

9th May, 2006

[F. No. H-11026(7)/2006-Leg.-II]
N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, former member of the Lok Sabha under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case Nos. 7 & 8 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

These are references dated 21st March, 2006 and 22nd March, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Smt. Sonia Gandhi, who was then a setting member of the Lok Sabha, Dr. Karan Singh, MP (Rajya Sabha), Sh. T. Subba Rami Reddy, MP (Rajya Sabha) and Ms. Kapila Vatsayan, MP (Rajya Sabha), have become subject to disqualification for being Member of the House concerned, under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of the aforesaid four persons was raised in two petitions dated 14th March, 2006 and 20th March, 2006 submitted to the President by Sh. Yerrannaidu, MP (Lok Sabha) and signed by other MPs of Telugu Desam Parliamentary Party. In the petition dated 14th March, 2006, the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, Dr. Karan Singh and Sh. T. Subbba Rami Reddy was raised. In the other petition, dated 20th March, 2006, the question of alleged

disqualification of Ms. Kapila Vatsayan was also raised in addition to the question relating to alleged disqualification of the three persons already raised in the earlier petition.

3. While the two references received in the Commission on 23rd March, 2006, were under preliminary scrutiny, Smt. Sonia Gandhi resigned her membership in the Lok Sabha on the 23rd March, 2006, as notified by the Lok Sabha Secretariat vide their notification No. 21/3/2006/T, dated 23rd March, 2006. In the said notification, a copy whereof was sent to the Commission by the Lok Sabha Secretariat on 24.3.2006, it was mentioned that Smt. Sonia Gandhi had resigned her seat in the Lok Sabha and her resignation was accepted by the Speaker w.e.f. 23rd March, 2006.

4. In view of the resignation by Smt. Sonia Gandhi of her seat in the Lok Sabha, the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the question of her alleged disqualification raised in the said two petitions referred, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution. The cases of the other three members, namely Dr. Karan Singh, Sh. T. Subba Rami Reddy and Ms. Kapila Vatsayan stand on a different footing as they are sitting members of Parliament and the same are be processed separately. Therefore, only the question raised in the two petitions with regard to the alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi from being a Member of the Lok Sabha, is being considered in the present Opinion. The allegation in the petitions with regard to Smt. Sonia Gandhi was that she was holding the office of Chairperson, National Advisory Council, Chairperson, Rajiv Gandhi Memorial Trust and Chairperson of Jawaharlal Nehru Memorial Fund. Other than a bare statement regarding the alleged appointment of Smt. Sonia Gandhi as Chairperson of the National Advisory Council, Rajiv Gandhi Memorial Trust and Jawaharlal Nehru Memorial Fund, no other details about the dates of appointments to the said offices, nature of the offices, profit attached to the offices, etc., were given in the petitions.

5. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In

cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be underaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

6. Earlier ,the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....
>
> .....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....
>
> .....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view

of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

7. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

8. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case

regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

9. The case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989) was identical in facts and circumstances, to the present case. The question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructous."

10. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the Governor, was whether Smt.Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt. Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

11. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the

Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

12. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

13. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present references in so far as they relate to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi for being a member of the Lok Sabha has become infructuous, in view of the fact that Smt. Sonia Gandhi has already resigned her seat in the Lok Sabha on 23rd March, 2006, and is thus no longer a member of the House.

14. Accordingly, the two references dated 21st March and 22nd March, 2006, in so far as they relate to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same have become infructuous. The question of alleged disqualification of the other three persons raised in the two petitions, is being considered separately.

(Navin B.Chawla)	(B.B.Tandon)	(N.Gopalaswami)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place : New Delhi
Dated: 7th April, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

का.आ. 702(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री आई० जी० खडेलवाल, एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी, डा० कर्ण सिंह, श्री संतोष गंगवार, श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, श्री मोहम्मद सलीम, श्री हन्नान मोल्लाह, सुश्री अमृता नंदी, श्री स्वदेश चक्रवर्त्ती, श्रीमती जया बच्चन और श्री अमर सिंह, तत्कालीन/आसीन संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश, तारीख 31 मार्च, 2006 द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या ऊपर नामित दस व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और 3 अप्रैल, 2006 को आयोग में निर्देश के प्राप्त होने से पूर्व, श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 मार्च, 2006 को लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था । जैसा कि, लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 23 मार्च, 2006 की उसकी अधिसूचना सं० 21/3/2006/टी द्वारा यह सूचित करते हुए अधिसूचित किया गया था कि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उनका त्याग पत्र 23 मार्च, 2006 से स्वीकार कर लिया गया है और श्रीमती जया बच्चन को भी संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन राष्ट्रपति के तारीख 16 मार्च, 2006 के आदेश द्वारा पहले ही राज्य सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जा चुका था;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रीमती सोनिया गांधी ने पहले ही 23 मार्च, 2006 को लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और श्रीमती जया बच्चन राष्ट्रपति के तारीख 16 मार्च, 2006 के आदेश के पश्चात् संसद सदस्या नहीं रह गई हैं, उक्त निर्देश, जहां तक वह श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती जया बच्चन के संबंधित सदन के सदस्य बने रहने के लिए उनकी अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, निरर्थक हो गया है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि डा० कर्ण सिंह, श्री संतोष गंगवार, श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, श्री मोहम्मद सलीम, श्री हन्नान मोल्लाह, सुश्री अमृता नंदी, श्री स्वदेश चक्रवर्त्ती और श्री अमर सिंह के संसद सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय की प्राप्ति के लंबित रहने के दौरान तारीख 31 मार्च, 2006 का उक्त निर्देश, जहां तक वह श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती जया बच्चन की अभीकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, क्रमशः सोनिया गांधी के लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए जाने के

कारण और राष्ट्रपति के तारीख 16 मार्च, 2006 के आदेश के, जिसके द्वारा श्रीमती जया बच्चन राज्य सभा की सदस्या नहीं रहीं, कारण निरर्थक हो गया है ।

भारत का राष्ट्रपति

9 मई, 2006

[फा. सं. एच-11026(8)/2006-विधायी-II]

एन. के. नम्पूथिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती जया बच्चन और लोक सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 36

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 31 मार्च, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या इस निर्देश में नामित दस व्यक्ति, अर्थात श्रीमती सोनिया गांधी, डा0 कर्ण सिंह, श्री संतोष गंगवार, श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, श्री मोहम्मद सलीम, श्री हन्नान मोल्लाह, सुश्री अमृता नंदी, श्री स्वदेश चक्रवर्त्ती, श्रीमती जया बच्चन और श्री अमर सिंह, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ।

2. उपर्युक्त दस व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री आई. जी. खंडेलवाल, एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया था । अपनी याचिका में याची ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लगभग तीन सदस्यों द्वारा अभिकथित रूप से विभिन्न निगमों में पद धारण किए जाने के प्रतिनिर्देश भी किया है और यह दलील भी दी है कि ये विधान सभा सदस्य भी निरर्हित किए जाने के दायी थे । संविधान के अनुच्छेद 192 (1) के उपबंधों के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में कोई प्रश्न संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना अपेक्षित है । अतः, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत इस याचिका में विधान सभा के सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में किए गए उल्लेख का संज्ञान नहीं किया जा सकता ।

3. जहां तक याची द्वारा कथित दस व्यक्तियों के संसद सदस्य होने के लिए अभिकथित रूप से निरर्हित होने के संबंध में उठाए गए प्रश्न का संबंध है, 3 अप्रैल,2006 को आयोग में निर्देश की प्राप्ति से पूर्व, श्रीमती सोनिया गांधी ने 23 मार्च,2006 को लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, जैसा कि लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी तारीख 23 मार्च,2006 की अधिसूचना सं.21/3/2006 टी द्वारा अधिसूचित किया गया है । उक्त अधिसूचना में, जिसकी एक प्रति

लोक सभा सचिवालय द्वारा तारीख 24.3.2006 को आयोग को भेजी गई थी, यह उल्लेख किया गया था कि श्रीमती सोनिया गांधी ने लोक सभा में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और अध्यक्ष द्वारा उनका त्यागपत्र 23 मार्च,2006 से स्वीकार कर लिया गया था । इसके अतिरिक्त, श्रीमती जया बच्चन को भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन पारित तारीख 16 मार्च 2006 के आदेश द्वारा पहले ही राज्य सभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया गया था ।

4. श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिए जाने और श्रीमती जया बच्चन के संबंध में राष्ट्रपति के तारीख 16 मार्च,2006 के आदेश को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं । याचिका में निर्दिष्ट अन्य आठ सदस्यों के मामलों की स्थिति भिन्न है क्योंकि वे संसद के आसीन सदस्य हैं और उनके संबंध में पृथक रूप से कार्यवाही की जा रही है । अतः इस राय में केवल श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा सदस्य होने और श्रीमती जया बच्चन के राज्य सभा सदस्य होने के लिए अभिकथित रूप से निरर्हित होने के संबंध में याचिका में उठाए गए प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है । याचिका में श्रीमती सोनिया गांधी के संबंध में यह आरोप है कि वे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा का पद धारण कर रही थी । श्रीमती जया बच्चन के संबंध में याची ने यह कथन किया है कि वे उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्षा का पद धारण कर रही हैं । उनके द्वारा अभिकथित रूप से धारण किए जाने वाले पदों के नामों के संबंध मात्र एक कथन के अलावा याचिका में उक्त पदों पर नियुक्ति की तारीखों, पदों की प्रकृति, पदों से संबद्ध अभिलाभों आदि के संबंध में कोई अन्य ब्यौरे नहीं दिए गए हैं ।

5. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पोडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम चिन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

> " इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह

किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।'

6. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ पधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उदभूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी नियम 9-क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।'

7. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन

के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है । ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।'

8. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.06.1971 की आयोग की राय, श्री लजिन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मित्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

9. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवल्पमेंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका,

तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

10. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सिल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।

11. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

> " उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ प्रधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के

निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।'

12. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिनसे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी ।

13. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्रीमती सोनिया गांधी के लोक सभा के और श्रीमती जया बच्चन के राज्य सभा के सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी पहले ही 23 मार्च, 2006 को लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे चुकी हैं और श्रीमती जया बच्चन राष्ट्रपति के तारीख 16 मार्च, 2006 के आदेश के पश्चात राज्य सभा की सदस्या नहीं रह गई हैं और इस प्रकार वे अब संबंधित सदन की सदस्या नहीं हैं ।

14. तदनुसार तारीख 31 मार्च,2006 के निर्देश को, जहां तक वह श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती जया बच्चन की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है । याचिका में उठाए गए शेष आठ व्यक्तियों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 7 अप्रैल, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2006

S.O. 702(E).—The following Order made by the President is published for general information: -

ORDER

Whereas a petition dated 24th March, 2006 of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, Dr. Karan Singh, Shri Santosh Gangwar, Shri Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki, Shri Mohammed Salim, Shri Hannan Mollah, Ms. Amrita Nandy, Shri Swadesh Chakraborty, Smt. Jaya Bachchan and Shri Amar Singh, the then sitting / sitting Members of Parliament under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri I.G. Khandelwal, a representative of a Non-Government Organisation;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether the ten persons named as above have become subject to disqualification for being Members of Parliament under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas even before the reference was received in the Election Commission on 3rd April, 2006, Smt. Sonia Gandhi had resigned her membership in the Lok Sabha on the 23rd March, 2006 as notified by the Lok Sabha Secretariat *vide* its notification No.21/3/2006/T dated the 23rd March, 2006 informing the acceptance of her resignation by the Speaker with effect from the 23rd March, 2006 and that Smt. Jaya Bachchan had also already been disqualified from the membership of the Rajya Sabha *vide* the Order dated the 16th March, 2006, of the President, under clause (2) of article 103 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that in view of the fact that Smt. Sonia Gandhi had already resigned her seat in the Lok Sabha on 23rd March, 2006, and Smt. Jaya Bachchan has ceased to be a member of the Rajya Sabha following the Order dated the 16th March, 2006, of the President, and are thus no longer members of Parliament, the said reference, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi and Smt. Jaya Bachchan for being a member of the House concerned, had become infructuous;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that, pending receipt of opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of Dr. Karan Singh, Shri Santosh Gangwar, Shri Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki, Shri Mohammed Salim, Shri Hannan Mollah, Ms. Amrita Nandy, Shri Swadesh Chakraborty, and Shri Amar Singh for being Members of Parliament, the said reference dated the 31st March, 2006 has become infructuous in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi and Smt. Jaya Bachchan on account of the resignation of Smt. Sonia Gandhi of her membership in the Lok Sabha and the Order dated the 16th March, 2006 of the President whereby Smt. Jaya Bachchan ceased to be a member of the Rajya Sabha, respectively.

PRESIDENT OF INDIA

9th May, 2006

[F. No. H-11026/(8)/2006-Leg.-II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Smt. Jaya Bachchan, former member of Rajya Sabha, and Smt. Sonia Gandhi, former member of the Lok Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 36 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 31st March, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether ten persons, named therein, namely, Smt. Sonia Gandhi, Dr. Karan Singh, Shri Santosh Gangwar, Shri Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki, Shri Mohammed Salim, Shri Hannan Mollah, Ms. Amrita Nandy, Shi Swadesh Chakraborty, Smt. Jaya Bachchan and Shri Amar Singh, have become subject to disqualification for being Members of Parliament, under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of the aforesaid ten persons was raised in a petition dated 24th March, 2006 submitted to the President by Sh. I.G.Khandelwal, representative of a Non-Government Organisation. The petitioner has also made a reference in his petition about three members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly allegedly holding offices in various Corporations, and contended that these MLAs are also liable to be disqualified. As per the provisions of Article 192(1) of the Constitution, any question regarding disqualification of members of Legislative Assembly is required to be raised before the Governor of the State concerned. Therefore, no cognizance can be taken of the mention made about alleged disqualification of members of Legislative Assembly, in this petition submitted before the President.

3. As regards the question raised about alleged disqualification of the ten persons stated by the petitioner to be Members of Parliament, even before the reference was

received in the Commission on 3rd April, 2006, Smt. Sonia Gandhi had resigned her membership in the Lok Sabha on the 23rd March, 2006, as notified by the Lok Sabha Secretariat vide their notification No. 21/3/2006/T, dated 23rd March, 2006. In the said notification, a copy whereof was sent to the Commission by the Lok Sabha Secretariat on 24.3.2006, it was mentioned that Smt. Sonia Gandhi had resigned her seat in the Lok Sabha and her resignation was accepted by the Speaker w.e.f. 23rd March, 2006. Further Smt. Jaya Bachchan had also been already disqualified from membership of the Rajya Sabha, vide the Order dated 16th March, 2006, passed by the President, under Article 103(2) of the Constitution.

4. In view of the resignation by Smt. Sonia Gandhi of her seat in the Lok Sabha, and the Order dated 16th March 2006, of the President, in relation to Smt. Jaya Bachchan, the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the questions of their alleged disqualification raised in the present petition, survive for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution. The cases of the other eight members, referred to the petition, stand on a different footing as they are sitting members of Parliament and the same are being processed separately. Therefore, only the questions raised in the petition with regard to the alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi from being a Member of the Lok Sabha, and that of Smt. Jaya Bachchan from being a Member of the Rajya Sabha, are being considered in the present Opinion. The allegation in the petitions with regard to Smt. Sonia Gandhi is that she was holding the office of Chairperson, National Advisory Council. Regarding Smt. Jaya Bachchan, the petitioner has stated she has been holding the office of Chairperson of Uttar Pradesh Film Development Council. Other than a bare statement regarding the names of the offices allegedly held by them, no other details about the dates of appointments to the said offices, nature of the offices, profit attached to the offices, etc., have been given in the petition.

5. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts

look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC 42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be underaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

6. Earlier ,the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....
>
> .....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....
>
> .....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view

of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

7. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

8. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter

of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360), Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

9. In the case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989) , the question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructous."

10. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the Governor, was whether Smt.Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt.

Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992.

11. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructuous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

12. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has

consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

13. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present references in so far as they relate to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi for being a member of the Lok Sabha, and alleged disqualification of Smt. Jaya Bachchan for being a member of the Rajya Sabha, has become infructuous, in view of the fact that Smt. Sonia Gandhi has already resigned her seat in the Lok Sabha on 23rd March, 2006, and Smt. Jaya Bachchan has ceased to be a member of the Rajya Sabha following the Order dated 16th March 2006, of the President, and are thus no longer members of the House concerned.

14. Accordingly, the reference dated 31st March, 2006, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi and Smt. Jaya Bachchan, is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same have become infructuous. The question of alleged disqualification of the remaining eight persons raised in the petition, is being considered separately.

(Navin B.Chawla)	(B.B.Tandon)	(N.Gopalaswami)
Election Commissioner	Chief Election Commissioner	Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated: 7th April, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

का.आ. 703(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री विजय गर्ग, अध्यक्ष, दिल्ली युवा कल्याण संगम, एफ-1, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 द्वारा राष्ट्रपति को, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री बलबीर के० पुंज, तत्कालीन आसीन संसद सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 21 मार्च, 2006 का याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह अभिकथन किया है कि श्री बलबीर के० पुंज, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने 15 मार्च, 2002 से 17 जुलाई, 2004 के बीच दो पद धारण किए थे, एक राज्यमंत्री के रुप में और दूसरा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय युवा आयोग के उपाध्यक्ष के रुप में और बाद वाला पद लाभ का पद था और इस प्रकार श्री पुंज राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए थे;

और तारीख 24 मार्च, 2006 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री बलबीर के० पुंज संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग में निर्देश 25 मार्च, 2006 को प्राप्त हुआ था और चूंकि आयोग में निर्देश की प्राप्ति और राज्य सभा के सदस्य के रुप में श्री बलबीर के० पुंज की सेवानिवृति के तारीख के बीच की अवधि के रुप में केवल एक सप्ताह ही रह गया था और याची से अपेक्षित ब्यौरे अभिप्राप्त करने या श्री पुंज को उनके अभिकथनों के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर देनें या याची द्वारा उठाए गए प्रश्नों में कोई अर्थपूर्ण जांच करने के लिए कोई समय नहीं था और अब वे 2 अप्रैल, 2006 को राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सभा में श्री बलबीर कुमार पुंज की सदस्यता का कार्यकाल 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो गया है, और वह अब सदन के सदस्य नहीं हैं, राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए श्री बलबीर कुमार पुंज की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में वर्तमान निर्देश निरर्थक हो गया है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं की श्री बलबीर के० पुंज की अभिकथित निरर्हता के संबंध में उक्त याचिका, राज्य सभा में तारीख 2 अप्रैल, 2006 को उनकी पदावधि के समाप्त हो जाने के कारण निरर्थक हो गई है ।

भारत का राष्ट्रपति

9 मई, 2006

[फा. सं. एच-11026(3)/2006-विधायी-II]

एन. के. नम्पूथिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन पूर्व राज्य सभा सदस्य श्री बलबीर कुमार पुंज की अभिकथित निरर्हता

2006 का निर्देश मामला सं. 10

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 24 मार्च, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री बलबीर कुमार पुंज, जो उस समय राज्य सभा

के आसीन सदस्य थे, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ।

2. श्री बलबीर कुमार पुंज की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री विजय गर्ग, अध्यक्ष, दिल्ली युवा कल्याण संगम, एफ-1, शास्त्री नगर, दिल्ली - 110052 द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 21 मार्च, 2006 की याचिका में यह अभिकथन करते हुए उठाया गया था कि श्री बलबीर कुमार पुंज, तत्कालीन आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा), ने 15 मार्च, 2002 से 17 जुलाई, 2004 तक युवा कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय युवा आयोग के उपाध्यक्ष का पद धारण किया था । याची ने यह अभिकथन किया कि श्री पुंज को राज्य मंत्री की हैसियत प्रदान की गई थी और वे मंत्री और साथ ही उक्त युवा आयोग के उपाध्यक्ष को उपलब्ध विशेषाधिकारों और परिलब्धियों का फायदा ले रहे थे । याची के अनुसार, उक्त पद लाभ का पद था और इस प्रकार श्री पुंज राज्य सभा का सदस्य बने रहने से निरर्हित हुए थे । याची ने यह दलील दी कि उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में श्री पुंज को संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन राज्य सभा का सदस्य बने रहने से निरर्हित किया जाना चाहिए ।

3. श्री पुंज वर्ष 2000 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और राज्य सभा के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो गया । आयोग को राष्ट्रपति महोदय का प्रतिनिर्देश 25 मार्च, 2006 को प्राप्त हुआ था । श्री विजय गर्ग की याचिका के साथ, राष्ट्रीय युवा आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर श्री पुंज की नियुक्ति की उनकी अभिकथित दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं थे । चूंकि आयोग में प्रतिनिर्देश की प्राप्ति और राज्य सभा के सदस्य के रूप में श्री पुंज की सेवानिवृति की तारीख के बीच केवल एक सप्ताह की अवधि थी, इसलिए याची से अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त करने और/या श्री पुंज को आरोपों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर देने का या याची द्वारा उठाए गए प्रश्न की कोई अर्थपूर्ण जांच करने के लिए कोई समय नहीं था । अब जबकि श्री पुंज 2.4.2006 को राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्ति हो गए हैं, तो वह उस तारीख से उस सदन के सदस्य नहीं रहे हैं ।

4. तारीख 2.4.2006 को श्री पुंज के राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृति को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु उदभूत प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए अब भी जीवित है अथवा नहीं ।

5. संविधान के अनुच्छेद 103(2) और अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति और राज्यपालों से निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां न्यायिककल्प कार्यवाहियां होती हैं । अतः, ऐसे मामलों में आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अंगीकार किए गए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है और उनका अनुसरण करता है । एक साधारण सिद्धांत के रूप में न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे विवाद्यक पर विनिश्चय करने के लिए विचार नहीं करते जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र होता है या किसी बाद में घटित होने वाली घटना के कारण निरर्थक हो गया है । ऐसे मामलों में जिनमें निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, अभ्यर्थी जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में स्थान से उसके त्यागपत्र पर या जहां स्वयं सदन ही विघटित कर दिया गया हो, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रहता, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक अपील के रूप में माना है और उस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है । पेडीपीरेड्डी अच्यूत देसाई बनाम चिन्नम जोगाराव [(1987) सप्लिमेंटरी एससीसी 42] के मामले में जहां सदन निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

" इस निर्वाचन अपील में उठाए गए प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण हैं । हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों में बल भी देख रहे हैं । इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए रूप से निर्वाचन पहले ही हो चुके हैं और इस रूप में अपील निरर्थक हो गई है, यदि हम निर्वाचन अर्जी को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए मत की विधिमान्यता या अन्य प्रारूप में जांच करें तो हम बेकार में ही अपनी शक्ति गवाएंगे । हम, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की विनिश्चय की विधिमान्यता पर या अन्य पहलू पर कोई राय चाहे वह किसी तरह की हो, व्यक्त किए बिना यह निदेश देते हैं कि यह अपील खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना निपटाई गई समझी जाएगी ।'

6. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ प्रधान बनाम विरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करना निरर्थक होगा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, अतः न्यायालय को अपील में उदभूत प्रश्न के गुणागुण पर विचार-विमर्श करने से इंकार कर देना चाहिए । हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी की ओर से दी गई इस प्राथमिक दलील में काफी बल है । भारत तथा इंग्लैंड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है.....

.....प्रस्तुत मामले में, उड़ीसा विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण इस बारे में विचार करना सैद्धान्तिक मात्र हो गया है कि क्या उस तारीख को जब नामांकन फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी धारा 9क के अधीन निरर्हित था अथवा नहीं । भले ही यह पाया जाए कि वह इस प्रकार निरर्हित था तब भी इससे कोई भी व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि उड़ीसा विधान सभा के विघटन के पश्चात् उसके निर्वाचन की अविधिमान्यता निरर्थक और निष्प्रभावी हो गई है.....

.....यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी निरर्हित था, नामांकन की तारीख को विद्यमान तथ्यों पर आधारित था और जहां तक भविष्य की स्थिति का संबंध है, इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी और इसलिए उड़ीसा विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए इसमें किसी भी पक्षकार का कोई व्यवहारिक हित नहीं है । न तो इससे अपीलार्थी को लाभ होगा और न किसी व्यवहारिक अर्थ में प्रत्यर्थी पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस बारे में विचार करना पूर्ण रूप से सैद्धान्तिक मात्र होगा कि प्रत्यर्थी नामांकन की तारीख को निरर्हित था अथवा नहीं ।'

7. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :

" चुनौती के अधीन निर्वाचन 1981 के निर्वाचन से संबंधित है जिसकी कालावधि लोक सभा के विघटन पर 1984 में समाप्त हो गई, उसके पश्चात् दिसम्बर, 1984 में एक और अन्य साधारण निर्वाचन हुआ था और प्रत्यर्थी लोक सभा के लिए 25वें अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से पुनःनिर्वाचित हो गया था । 1984 के निर्वाचन की विधिमान्यता को दो पृथक

निर्वाचन अर्जियों के माध्यम से प्रश्नगत किया गया था और दोनों ही अर्जियां खारिज कर दी गई थीं । प्रत्यर्थी के निर्वाचन की वैधता को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, एआईआर 1986 एससी 1253 और भगवती प्रसाद बनाम राजेव गांधी, (1986) 4 एससीसी 78 : (एआईआर 1986 एससी 1534) में बहाल रखा गया था । चूंकि आक्षेपित निर्वाचन लोक सभा से संबंधित है जो 1984 में विघटित कर दी गई थी, प्रत्यर्थी के निर्वाचन को वर्तमान कार्यवाहियों में अपास्त नहीं किया जा सकता भले ही निर्वाचन अर्जी विचारण पर अंत में मंजूर कर ली जाए क्योंकि प्रत्यर्थी 1981 में हुए आक्षेपित निर्वाचन के आधार पर लोक सभा का सदस्य नहीं बना हुआ है बल्कि 1984 में उसके पश्चातवर्ती निर्वाचन के आधार पर बना हुआ है । यदि हम अपील को मंजूर करते हैं और मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिपरेषित करते हैं तब भी प्रत्यर्थी के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी के विचारण के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अनुतोष समय बीत जाने के कारण निरर्थक हो गया है । इस दृष्टि से प्रत्यर्थी के निर्वाचन को अपास्त करने के लिए अर्जी में उठाए गए आधार सैद्धान्तिक मात्र हो गए हैं । न्यायालय को किसी विवाद्यक का विचार करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस, 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया ; ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है । ये गत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।'

8. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिधारित सतत राय यह थी कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए श्री रणजी भाई चौधरी और गुजरात विधान सभा के बारह अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 इएलआर 354) तारीख 17.6.1971 की आयोग की राय, श्री लज़िन्दर सिंह बेदी और पंजाब विधान सभा के दो अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले में (51 ईएलआर 360) तारीख 10.1.1972 की राय, श्री अवधेश सिंह और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दस अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 2.7.1980 की राय, डा. जगन्नाथ मिश्र, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशी राय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय, श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललीता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।

9. डा. जगन्नाथ मिश्र का मामला (1989 का निर्देश मामला 2) तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले के समान था । उस मामले में उठाया गया प्रश्न राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य डा. जगन्नाथ मिश्र की इस आधार पर अभिकथित निरर्हता के बारे में था कि वह एल. एन. मिश्र इन्स्टिट्यूट आफ इकोनोमिक डेवल्पमेंट एंड सोसियल चेन्ज, पटना के अध्यक्ष-सह-महानिदेशक का पद धारण कर रहे थे । उस मामले में तारीख 10-6-1989 की एक याचिका, तारीख 10-7-1989 को राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजी गई थी । उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. मिश्र ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र 16-3-1990 को सदन के सभापति द्वारा स्वीकार किया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. मिश्र के त्यागपत्र के अनुसरण में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है । आयोग ने उस मामले में दी गई अपनी राय में यह संप्रेक्षण किया कि :

> "तारीख 16-03-1990 को डा. मिश्र के त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप वह उस दिन से राज्य सभा के सदस्य नहीं रह गए हैं । अतः यह प्रश्न कि क्या वह उस सभा के सदस्य के रूप बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, इस समय विचार के लिए नहीं बचा है क्योंकि अब वह पहले से ही उस सभा के सदस्य नहीं हैं । इन परिस्थितियों में, आयोग की यह राय प्राप्त करने के लिए कि क्या डा. मिश्र राज्य सभा के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया है ।"

10. 1992 के निर्देश मामला सं. 1 में, जिसमें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने, इस आधार पर निरर्हता उपगत की है कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी काउन्सिल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निरर्थक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी । विद्यमान मामला भी लगभग श्रीमती जयन्ती नटराजन के मामले के समरूप है ।

11. सुश्री जे. जयललिता से संबंधित निर्देश मामलों में (1993 का निर्देश मामला सं. 1(जी)-6 (जी) और 1994 का 1(जी) [अनुच्छेद 192 (2) के अधीन तमिलनाडु के राज्यपाल से तमिलनाडु विधान सभा से सुश्री जयललिता की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाने वाले निर्देश] वह विधान सभा, जिसकी वह सदस्य थी और सदस्यता, जो मामलों में उठाए गए प्रश्न की विषयवस्तु थी, निर्देश मामलों के लंबित रहने के दौरान विघटित कर दी गई थी । विधान सभा के विघटन के पश्चात्, आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि मामले निरर्थक हो गए हैं । उस मामले में, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, आयोग ने यह संप्रेक्षण किया था :

> " उक्त प्रश्न के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने पर आयोग का यह मत है कि ऐसी कोई राय अब अनावश्यक होगी । इस प्रश्न पर कि क्या सुश्री जयललिता मई 1996 में पहले ही विघटित हो गई तमिलनाडु विधान सभा के पूर्वतर सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गई हैं । इस प्रक्रम पर कोई जांच, अब मात्र सैद्धान्तिक हित में ही होगी और निरर्थक प्रयास होगा । उपरोक्त प्रश्न पर की गई किसी उद्घोषणा से न तो उनकी वर्तमान प्रास्थिति पर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ेगा, न ही ऐसी उद्घोषणा से इस प्रक्रम पर किसी अर्थपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति होगी । यह एक सुव्यवस्थित न्यायिक परिपाटी है जो भारत में मानी

और अनुपालन की जाती है कि यदि कोई विवाद्यक इस रूप में पूर्णतया सैद्धान्तिक है कि किसी भी रूप में उस पर विनिश्चय का पक्षकारों की स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यह जनता के समय की बर्बादी होगी । वस्तुतः न्यायालयों के लिए ऐसे सैद्धान्तिक विवाद्यकों का विनिश्चय करने में अपने आपको लगाए रखना, प्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं होगा । श्री बोबदे, लोकनाथ पधान बनाम बीरेन्द्र कुमार साहू (सुपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने में सही थे । उस मामले में, उड़ीसा विधान सभा के सफल अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसकी कतिपय कार्यों के निष्पादन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ संविदा विद्यमान है और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के अधीन निरर्हित हैं । उच्च न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया था, किंतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, उसी समय उड़ीसा विधान सभा विघटित कर दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधान सभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए अपील को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज कर दिया था ।'

12. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे सभी निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिनसे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी ।

13. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की यह सुविचारित राय है कि श्री बलबीर कुमार पुंज के राज्य सभा के सदस्य बने रहने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान निर्देश, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि राज्य सभा में श्री बलबीर कुमार पुंज की सदस्यता का कार्यकाल तारीख 2.4.2006 को समाप्त हो गया है और वह अब सदन के सदस्य नहीं हैं ।

14. तदनुसार उक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निरर्थक हो गया है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(नवीन बी. चावला)	(बी. बी. टंडन)	(एन. गोपालस्वामी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख 7 अप्रैल, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2006

S.O. 703(E).—The following Order made by the President is published for general information: -

ORDER

Whereas a petition dated the 21st March, 2006 of alleged disqualification of Shri Balbir K. Punj, the then sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Vijay Garg, President, Delhi Youth Welfare Association, F-1, Shastri Nagar, Delhi-110052;

And whereas the said petitioner has alleged that Shri Balbir K. Punj, being a Member of Parliament (Rajya Sabha) had held two offices between 15th March, 2002 to 17th July, 2004, one as Minister of State and another as Vice-Chairperson of National Commission for Youth under the Ministry of Youth Affairs and Sports and the later one was an office of profit and hence Shri Punj incurred disqualification for being a Member of Rajya Sabha;

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought by the President by a reference dated the 24th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution as to whether Shri Balbir K. Punj has become subject to disqualification for being a member of Rajya Sabha under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the reference was received in the Election Commission on 25th March, 2006, and as the period between the receipt of reference in the Commission and the date of retirement of Shri Balbir K. Punj as Member of Rajya Sabha was only about one week left and there was hardly any time to obtain requisite details from the petitioner or to give an opportunity to Shri Punj to submit his reply to the allegations, or to conduct any meaningful inquiry into the question raised by the petitioner and now, he has retired from Membership of the Rajya Sabha on 2nd April, 2006;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri Balbir Kumar Punj for being a member of the Rajya Sabha has become infructuous, in view of the fact that the term of his membership in the Rajya Sabha has expired on 2nd April, 2006, and he is no longer a member of the House;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the said petition about the alleged disqualification of Shri Balbir K. Punj has become infructuous on account of the expiration of his term of office in the Rajya Sabha on the 2nd April, 2006.

PRESIDENT OF INDIA

9th May, 2006

[F. No. H-11026(3)2006-Leg.-II]

N. K. NAMPOOTHIRY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:
Alleged disqualification of Shri Balbir Kumar Punj, former member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Case No. 10 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 24th March, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri Balbir Kumar Punj, who was then a setting member of the Rajya Sabha, has become subject to disqualification for being a Member of Rajya Sabha under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Shri Balbir Kumar Punj was raised in a petition dated 21st March, 2006 submitted to the President by Sh. Vijay Garg,Presidnet, Delhi Youth Welfare Association, F-1, Shastri Nagar, Delhi – 110052, alleging that Shri Balbir Kumar Punj (mentioned as 'Balbir K.Punj' in the petition), then sitting Member of Parliament (Rajya Sabha), had held the office of Vice- Chairperson, National Commission for Youth, under the Ministry of Youth Affairs and Sports, from 15th March 2002 to 17th July 2004. The petitioner alleged that Sh. Punj was granted the status of Minister of State and was enjoying privileges and perks as available to a Minister as well as Vice Chairperson of the said Commission for Youth. According to the petitioner, the said office was an office of profit, and hence, Sh.Punj had incurred disqualification for being a member of Rajya Sabha. The petitioner contended that in view thereof, Shri Punj

should be disqualified from being a member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution.

3. Shri Punj was elected to the Rajya Sabha in 2000, and his term as member of the Rajya Sabha expired on 2nd April 2006. The reference from the President was received in the Commission on 25th March, 2006. The petition of Shri Vijay Garg was not accompanied by any document supporting his contention of alleged appointment of Sh. Punj to the office of Vice- Chairperson of National Commission for Youth. As the period between the receipt of reference in the Commission and the date of retirement of Sh. Punj as member of Rajya Sabha was only about one week, there was hardly any time to obtain requisite details from the petitioner and/or to give an opportunity to Sh. Punj to submit his reply to the allegations, or to conduct any meaningful inquiry into the question raised by the petitioner. Now that Sh. Punj has retired from membership of the Rajya Sabha on 2.4.2006, he has ceased to be a member of that House with effect from that date.

4. In view of the retirement of Sh. Punj from membership of the Rajya Sabha on 2.4.2006, the preliminary issue arising for consideration of the Commission is whether the question of his alleged disqualification raised in the petition referred, survives for any opinion of the Commission under Article 103(2) of the Constitution.

5. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and Governors under Articles 103 (2) and 192(2) are quasi-judicial proceedings. Hence, in such matters, the Commission is guided by and follows the principles, procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts. As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal, the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned, on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such. In *Podipireddy Achuta Desai Vs. Chinnam Joga Rao* [(1987) Supp SCC

42], where the House was dissolved during the pendency of the election appeal, the Supreme Court held:

> "The questions raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be underaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any view, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

6. Earlier ,the Supreme Court in the case of *Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu*(AIR 1974 SC 505),had held:

> "Assembly being dissolved, the setting aside of the election of the respondent would have no meaning or consequence and hence the Court should refuse to embark on a discussion of the merits of the question arising in the appeal. We think there is great force in this preliminary contention urged on behalf the respondent. It is a well settled practice recongnised and followed in India as well as England that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it.....
>
> .....In the present case, the Orissa Legislative Assembly being dissolved, it has become academic to consider whether on the date when the nomination was filed, the respondent was disqualified under S. 9-A. Even if it is found that he was so disqualified, it would have no practical consequence, because the invalidation of his election after the dissolution of the Orissa Legislative Assembly would be meaningless and ineffectual.....
>
> .....The finding that the respondent was disqualified would be based on the facts existing at the date of nomination and it would have no relevance so far as the position at a future point of time may be concerned, and therefore, in view of the dissolution of the Orissa Legislative Assembly, it would have no practical interest for either of the parties. Neither would it benefit the appellant nor would it affect the respondent in any pratical sense and it would be wholly academic to consider whether the respondent was disqualified on the date of nomination."

7. Again, the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577) as follows :

The election under challenge relates to 1981, its term expired in 1984 on the dissolution of the Lok Sabha, thereafter-another general election was held in December 1984 and the respondent was again elected from 25th Amethi Constituency to the Lok Sabha. The validity of the election field in 1984 was questioned by means of two separate election petitions and both the petitions have been dismissed. The validity of respondent's election has been upheld in Azhar Hussain V. Rajiv Gandhi, AIR 1986 SC 1253 and Bhagwati Prasad v. Rajiv Gandhi (1986) 4 SCC 78: (AIR 1986 SC 1534). Since the impugned election relates to the Lok Sabha which was dissolved in 1984 the respondent's election cannot be set aside in the present proceedings even if the election petition is ultimately allowed on trial as the respondent is a continuing member of the Lok Sabha not on the basis of the impugned election held in 1981 but on the basis of his subsequent election in 1984. Even if we allow the appeal and remit the case to the High Court the respondent's election cannot be set aside after trial of the election petition as the relief for setting aside the election has been rendered in fructuous by lapse of time. In this view grounds raised in the petition for setting aside the election of the respondent have been rendered academic. Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, if would be waste of public time to engage itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, 1944 AC 111 observed; "I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question, the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue." These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court."

8. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made, ceased to be a member of the House concerned, before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous. To cite a few such cases, the Commission's Opinion dated 17-06-1971 in the reference case regarding alleged disqualification of Sh. Ranjibhai Choudhary and twelve other members of Gujarat Legislative Assembly (51 ELR 354), Opinion dated 10-1-1972 in the matter of alleged disqualification of Sh. Lajinder Singh Bedi and two other members of Punjab Legislative Assembly (51 ELR 360); Opinion dated 2-7-1980 in the case of alleged disqualification of Sh. Avdhesh Singh and ten other members of Uttar Pradesh

Legislative Assembly, Opinion dated 17-10-1990, in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra, member of Rajya Sabha, Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh. Mahadeo Kashiray Patil, member of Rajya Sabha, Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt. Jayanthi Natarajan, member of Rajya Sabha, and Opinion dated 29-8-1997, regarding alleged disqualification of Ms. J.Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.

9. In the case of Dr. Jaganath Mishra (Reference Case of 2 of 1989), the question raised in that case was about alleged disqualification of Dr. Jagannath Mishra, then sitting Member of Rajya Sabha, on the ground that he was holding the office of Chairman-cum-Director General of the L.N.Mishra Institute of Economic Development and Social Change, Patna. In that case, a petition dated 10.6.1989, was referred to the Commission by the President, on 10.7.1989. During the pendency of inquiry by the Commission into the question raised, Dr. Mishra resigned his seat in the Rajya Sabha, and his resignation was accepted by the Chairman of the House on 16.3.1990. The Commission then tendered the opinion that following the resignation of Dr. Mishra, the reference from the President had become infructous. The Commission in its Opinion tendered in that case, observed :

> " Consequent upon the acceptance of resignation of Dr. Mishra on 16-03-1990, he is no longer a member of the Council of States from that day. Therefore, the question whether he is disqualified for continuing as a member of that Council no longer survives for consideration at present as he is already not a member of that Council now. In these circumstances, the reference received from the President seeking the opinion of the Commission whether Dr. Mishra has become subject to disqualification to continue as member of the Council of States has become infructous."

10. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the Governor, was whether Smt.Jayanthi Natarajan, then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt. Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992. The petition was referred to the Commission on 30.6.1992. The term of membership of Smt.

Natarajan expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992, and tendered opinion to that effect on 12.7.1992. The present case is almost similar to the case of Smt. Jayanthi Natarajan.

11. In the Reference Cases relating to Ms. J.Jayalalitha, (Reference Case Nos. 1(G) - 6 (G) of 93 and 1 (G) of 94, [references from the Governor of Tamil Nadu under Article 192 (2)] raising the question of alleged disqualification of Ms. Jayalalitha from membership of Tamil Nadu Legislative Assembly, the Assembly in which she was a member and the membership of which was the subject matter of the question raised in the cases, was dissolved during the pendency of the reference cases. Following the dissolution of the Assembly, the Commission took the view that the cases had become infructous. In that case, relying on the decision of the Supreme Court in *Loknath Padhan Vs. Birendera Kumar Sahu* (Supra), the Commission observed :

> "Having considered all relevant aspects of the said question, the Commission is of the view that any such opinion now would be unnecessary. Any enquiry, at this stage, into the question whether Ms. Jayalalitha had become subject to disqualification for continuing as a member of the earlier House of the Tamil Nadu Legislative Assembly, already dissolved in May, 1996, would be of mere academic interest now, and would be an exercise in futility. Any pronouncement on the above question would not affect her present status, one way or the other, nor would such pronouncement serve any meaningful purpose at this stage. It is a well settled judicial practice, recognised and followed in India, that if an issue is purely academic, in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time, and indeed not proper exercise of authority for the courts to engage themselves in deciding such academic issues. Shri Bobde was right in placing reliance on the decision of the Supreme Court in the case of Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu (Supra). In that case, the election of successful candidate to the Orissa Legislative Assembly was challenged on the ground that he had a subsisting contract with the Government of Orissa for the execution of certain works and that he was disqualified under Section 9A of the Representation of the People Act, 1951. The High Court dismissed the election petition, but an appeal was pending before the Supreme Court, when, in the meanwhile, the Orissa Legislative Assembly was dissolved. The Supreme Court dismissed the

appeal, as having become infructuous, in view of dissolution of the State Legislative Assembly."

12. It would, thus, be seen that in all reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous, and any opinion by the Commission on the question raised would only be of academic value.

13. Having regard to the above constitutional and legal position, and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past, mentioned above, the Commission is of the considered opinion that the present reference on the question of alleged disqualification of Shri Balbir Kumar Punj for being a member of the Rajya Sabha has become infructuous, in view of the fact that the term of his membership in the Rajya has expired on 2.4.2006, and he is no longer a member of the House.

14. Accordingly, the said reference is hereby returned to the President with the Commission's opinion, under Article 103(2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous.

(Navin B.Chawla)
Election Commissioner

(B.B.Tandon)
Chief Election Commissioner

(N.Gopalaswami)
Election Commissioner

Place : New Delhi
Dated: 7th April, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.